न्यायालय उप जिलाधिकारी, भाटपाररानी जनपद देवरिया ।

वाद संख्या– 11 /वा– 2013

रामचन्द्र उपाध्याय महाविद्यालय,धनौती————————बनाम————————————————सरकार ।

मौजा–धनौती तप्पा हवेली परगना –स0म0
तहसील भाटपाररानी जनपद देवरिया ।
अंतर्गत धारा 143 उ0प्र0ज0वि0अधि0 ।

प्रतिलिपि निर्णय दि0 10/6/2013

प्रस्तुत वाद ज0वि0अधि0 की धारा 143 के अंतर्गत वादी रामचन्द्र उपाध्याय महाविद्यालय, धनौती तहसील भाटपाररानी जनपद देवरिया द्वारा प्रबन्धक आशुतोष कुमार उपाध्याय पुत्र स्वर्गीय श्री कामेश्वर उपाध्याय निवासी जरुई तहसील भाटपाररानी जनपद देवरिया द्वारा योजित कर अभिकथन किया गया है कि आराजी नम्बर 210/0–741 व 209 मी0/0–285 व 358 मी0 /0–139 हे0 कुल रकबा 1–165 हे0आबादी के शकल में है तथा विवादित भूमि का प्रयोग कृषि प्रयोजन से भिन्न है। मौके पर रामचन्द उपाध्याय महाविद्यालय, धनौती का कक्षा भवन व क्रीड़ास्थल के रूप में है। उक्त रकबा जोती–बोई नहीं जाती है। अंत में उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के कम में तहसीलदार,भाटपाररानी से आख्या प्राप्त की गयी, जो संलग्न पत्रावली है। तहसीलदार,भाटपाररानी की आख्या दिनांक 01–5–2013 में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत भूखण्ड पर रामचन्द्र उपाध्याय महाविद्यालय, धनौती का भवन व क्रीड़ास्थल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अतः ज0वि0अधि0 की धारा 143 के अंतर्गत घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित है।

पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया गया तथा वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का परिशीलन किया गया । तहसीलदार,भाटपाररानी की आख्या दिनांक 01–5–2013 से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूखण्डों पर कृषि कार्य नहीं होता है। उक्त के अवलोकन से प्रश्नगत भूखण्डो को अकृषिक (कृषि, बागवानी या पशुपालन ,जिसमें मत्स्य पालन, कुकुटपालन भी सम्मिलित है से असम्बद्ध ।)घोषित करने में कोई विधिक बाधा नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

अतःआदेश दिया जाता है कि ग्राम धनौती तप्पा हवेली परगना सलेमपुर मझौली तहसील भाटपाररानी जनपद देवरिया स्थित खतौनी वर्ष 1419 लगायत 1424 फ0 के खाता संख्या 327 आराजी नम्बर 210 रकबा 0–741 हे0, 209 मि0 रकबा 0–285 हे0 व आ0नं0 358 मि0 रकबा 0–139 हे0 भूमि वर्तमान लगान को वर्तमान उपयोग के आधार पर उ0प्र0ज0वि0 एवं भू–व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत आवासीय कृषि उद्यारीकरण एवं पशुपालन जिसमें मत्स्य पालन, कुकुट पालन भी सम्मिलित है से असम्बद्ध प्रयोजनों हेतु प्रख्यापित किया जाता है। तद्नुसार परवाना जारी हो। उ0प्र0ज0वि0एवं भू0–व्य0अधि0 की धारा 143 के अंतर्गत परवानें की एक प्रति भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में अन्य व्यवस्था होने के बावजूद उसे विहित रीति से बिना शुल्क रजिस्टर्ड करने हेतु उप निबन्धक, भाटपाररानी को भेजी जाय। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–

ह0 10.06.13
([illegible] द्विवेदी)
उप जिलाधिकारी,
भाटपाररानी।

सत्य प्रतिलिपि
प्रमाणित
22/7/2013
पेशकार
न्यायालय उप जिलाधिकारी
भाटपाररानी, देवरिया

336
22/7/2013
7-00
1-5
22/7/2013
22/7/2013

प्रतिलिपि
प्राप्त किया 22/7/20